न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1729/2025
त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0– 511/2025

1. मो0 मुस्लिम पे0 स्व0 मो0 जसमत
2. प्रवीणा खातुन पति मो0 सिकन्दर
सभी सा0– कठखोलवा, वार्ड नं0 01, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

13/05/26

प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 मुस्लिम एवं प्रवीणा खातुन की ओर से त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0–511/2025 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति के कारण परेशान करने के नियत से फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि सूचक एवं प्रार्थी आवेदकगण आपस में दियाद है तथा पूर्व से उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है तथा जमीनी विवाद के कारण झूठा केस किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2),109(1),74, 351, 352(2), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत लगाया गया आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि प्रार्थी मुदालह मो0 मुस्लिम के पुत्र मो0 मुस्कान को प्रस्तुत कांड के सूचक आलम ने अपने अन्य सहयोगियों एवं आपराधिक तत्व वाले लोगों को अपने मेल वो प्रभाव में लाकर अपहरण करवा कर लापता कर दिये है जिसका नालसी वाद सं0 1053/2025 प्रार्थी मुदालह मो0 मुस्लिम ने दाखिल किया है जो अभी न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी आवेदकगण एक खेतीहर मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं मेहनत मजदूर किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

प्रस्तुत वाद, सूचक मो0 आलम के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 3 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 109(1), 74, 352, 351(2), 3(5) BNS में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 05/10/2025 के दिन के करीब 1 बजे मो0 मुसलीम, मो0 मुसकान एवं प्रवीणा खातुन एवं तीन अज्ञात व्यक्ति एकजुट हरवे हथियार लाठी, फट्ठा लोहे का रॉड दबिया फाईटर से लेश होकर सूचक के जमीन में बीजा हुआ घास को भैंस लगाकर घास खिला रहा था। सूचक घास खिलाने से मना किया तो उसे भद्दी–भद्दी गाली–गलौज देने लगा। सूचक विरोध किया तो उसे लप्पड़ थप्पड़ एड़ मुक्का से मारने पीटने लगा। मो0 मुसलीम अपने सहयोगी को आदेश दिया कि देखते क्या हो साले को मारकर इसी घास वाले जमीन में कुट्टी–कुट्टी काटकर गाड़ दो उसी पर मो0 मुस्कान अपने हाथ में लिए दबिया लेकर दौड़कर आया और उसके सिर पर प्रहार कर दिया लगातार तीन बार दबिया से प्रहार किया जिससे सूचक का सिर फट गया और खून बहने लगा व खुन से लतपत होकर जमीन पर गिर गया। मो0 मुसलीम फाईटर से सूचक के सिर पर जान मारने के नीयत से प्रहार किया, हो हल्ला की आवाज सुनकर उसकी पत्नी समीना खातुन दौड़कर बचाने आई तो उसे भी लाठी डण्डा से मारने पीटने लगा और उसकी पत्नी का कपड़ा वस्त्र चिरफाड़ कर वेनग्न कर दिया। उसी बीच प्रवीणा खातुन सूचक की पत्नी के नाक से सोना का नकमुन्नी नोच ली व उनलोगों को मारकर बुरी तरह जख्मी वो घायल कर दिया। हल्ला कि आवाज पर आस पास के ग्रामीणों के जुटने पर सभी नामित सदस्य भागने लगे और जाते जाते धमकी दिया कि मारकर हत्या कर देंगे। उनलोगों को बेहोश देखकर ग्रामीणों ने ईलाज के लिए

लगातार

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1729/2025
त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0– 511/2025

13/05/26 **लगातार**	अनुमंडल अस्पताल त्रिवेणीगंज लाया जहॉ ईलाज चला। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्तों एवं अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गाली–गलौज मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। सूचक ने अपने पुनः बयान कंडिका 7 में व अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों कंडिका 8 एवं 9 में प्राथमिकी एवं घटना का समर्थन किया है। कंडिका 11 में घटनास्थल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घटनास्थल वादी का खेत है जहॉ सड़क पर वादी के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी कर देने की बात वादी एवं साक्षियों के द्वारा बतायी गयी है। कंडिका 20 में जख्मी/सूचक का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके शरीर के मर्म भाग (बॉयीं कपाल) पर कुल तीन जख्म कारित हुए है जिसमें एक जख्म 3 CM X 1 CM X ½ CM का कारित हुआ है, साथ ही उसके अन्य मर्म भाग यथा गाल में अस्थिभंग होना भी दर्शाया गया है। इस प्रकार पीड़ित सूचक को कारित जख्म गंभीर प्रकृति का दर्शाया गया है, जो कि प्राथमिकी में वर्णित तथ्य को संपुष्ट करता है। कंडिका 47 में प्रार्थी अभियुक्ता प्रवीणा खातुन के विरुद्ध इस कांड के अलावे एक अन्य आपराधिक इतिहास बताया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 मुसलीम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त मो0 मुस्लिम पर फाईटर से सूचक के सिर पर जान मारने के नियत से प्रहार करने का स्पष्ट आरोप भी है तथा उक्त आरोप का समर्थन जख्म प्रतिवेदन से भी होता है एवं मामला वर्तमान में अनुसंधानरत है, उनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः **प्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 मो0 मुस्लिम** की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। जहां तक अन्य प्रार्थी अभियुक्त प्रवीणा खातुन का प्रश्न है प्रार्थी अभियुक्ता एक महिला है तथा प्रार्थी अभियुक्ता पर किसी को मारने का कोई प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट आरोप नहीं है तथा उसपर लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप है। हालांकी कंडिका 47 में प्रार्थी अभियुक्ता प्रवीणा खातुन का एक आपराधिक इतिहास बताया गया है परंतु अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कांड के किसी भी पीड़ित को आघात करने का आरोप इसके विरुद्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्ता **प्रवीणा खातुन** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्ता की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तगण को मो0 10,000 रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्ता का एक जमानतदार उसके माता/पिता/नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्ता बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेंगी, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगें। 3. प्रार्थी अभियुक्ता वाद के विचारण में सहयोग करेंगी। तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है। (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	